न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 31/2022 वाद

1. रविन्द्र सिंह चौहान पिता श्री रतन सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी–40, भेखरेड, आसपुर, भैखेड, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. गजेन्द्र सिंह राठौड़ पिता श्री कल्याण सिंह राठौड़, उम्र 24 वर्ष, निवासी–2, न्यू महावीर नगर, हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर–4, उदयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. अकिल हुसैन पिता श्री मजीद हुसैन, उम्र 35 वर्ष, निवासी' वैशाली नगर, देबारी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) मोबाईल नम्बर– 7737950143
2. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.

श्री महेश बागड़ी अधिवक्ता वादी एवं
एस.पी. गोस्वामी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–1,
विजय कुमार चौहान अधिवक्ता प्रतिवादी–2 उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 27.09.2023

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण द्वारा वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का कोई भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखित दस्तावेज के स्वत्व–स्वामित्व का कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, यानि विधिक रूप से वादहेतुक प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद न्यायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसी स्तर पर खारिज फरमाये जाने योग्य है। हस्तगत वाद में वादीगण के अभिवचनों का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा राजस्व ग्राम देबारी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के आराजी संख्या 1958 रकबा 1.1200 हैक्टेयर उल्लेखित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में वादीगण के स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है ऐसी स्थिति में विधिकरूप से वाद दर्ज किया जाना सम्भव नहीं रहा है। ऐसे तथ्यहीन प्लींडिंग के आधार पर वाद निरस्त फरमाया जावे तथा वादीगण के अभिवचनों से ज्ञात

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

है कि कथित बटवारा राजस्व स्टाम्प अधिनियम के अनुसार पर्याप्त स्टाम्प पर निर्धारित नहीं किया गया है ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है बटवारा इकरार पूर्ण मुद्रांक पर निष्पादित नहीं है एवं रजिस्टर्ड भी नहीं है ऐसे बंटवारा इकरार कोलेटरल परपज के लिए नहीं देखा जा सकता है और न ही ऐसे बंटवाड़े से एक्ट अर्पान किया जा सकता है जिससे ऐसे दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। विधिक रूप से इसी स्तर पर वादीगण का वाद निरस्त फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण ने अपना वाद सही तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादीगण के द्वारा आप न्यायालय में अपने स्वामित्व संबंधित सभी दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत किये है और वह सद्भाविक क्रेता होकर वादीगण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के कृषि भूमि क्रय की है और इन्ही दस्तावेजों के आधार पर वादी ने अपना वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या एक ने जिस कथित बटवारे नामे का उल्लेख किया गया है उक्त बटवारे नामे के अनुसार ही सभी व्यक्ति अपनी अपनी जमीन पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। वास्तविकता में तो प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा बाहुबल के आधार पर वादीगण की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है और उक्त जमीन को अपनी स्वयं की जमीन बता रहा है जो कि पूर्णतया गलत होकर निराधार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र जो कि मिथ्या एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होकर आप न्यायालय में पेश किया गया है उसे सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार है एवं वादी द्वारा जिस बंटवारा नामा दिनांक 11.11.1987 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है वह रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे बंटवारा इकरार कोलेटरल परपज के लिएं नही देखा जा सकता है। अतः वादी का वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा आराजी संख्या 1958 के खातेदार प्रियंका जारोली एवं सोनाली जारोली पुत्री स्व. श्री राजमल जारोली से रजिस्टर्ड विक्रय पर से प्लॉट संख्या 280 एवं 281 क्रय किया है एवं विपक्षी

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

संख्या एक का वादीगण के उक्त प्लॉट से कोई लेना देना नहीं होने से नाजायज कब्जा करना चाहता है जिससे वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व ग्राम देबारी के आराजी संख्या 1958 रकबा 1.1200 हैक्टैयर के राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार की हैसियत से दर्ज है। एवं वादी द्वारा अपने ही सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जब तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का एक एक इंच पर कब्जा एवं अधिकार होता है एवं खातेदारों के मध्य विभाजन नहीं हो जाता है तब तक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। जबकि वादी द्वारा वाद बंटवारे का न प्रस्तुत कर केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11(घ) "जहॉ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है।" वादी के वादपत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत सहखातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11(घ) के तहत विधि द्वारा वर्जित है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर
अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकदमा 31/2022 सन 2022
वाद (1) रविन्द्र सिंह चौहान पिता श्री रतन सिंह, उम्र 28 वर्ष, भेखरेड, आसपुर, भैखेड, जिला डूंगरपुर (राज.) (2) गजेन्द्र सिंह पिता श्री कल्याण सिंह राठौड़, उम्र 24 वर्ष, निवासी–2, न्यू महावीर नगर, सेक्टर नम्बर–4, उदयपुर (राज.) बनाम (1) अकिल हुसैन पिता श्री हुसैन, उम्र 35 वर्ष, निवासी' वैशाली नगर, देबारी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) मोबाईल नम्बर– 7737950143 (2) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.) (3) भूमिधारी तहसीलदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री महेश बागड़ी, प्रतिवादी संख्या एक अधिवक्ता एस.पी. गोस्वामी एवं प्रतिवादी संख्या दो अधिवक्ता विजय चौहान की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख 27 माह 09 सन् 2023 को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

18/9/23
नकुलाय पक्षकारान उपस्थित/ मेन्टेनेबिलिटी के लिए मौका चाहते ; अतः अवसर दिया जाकर दिनांक 27.9.23 को पेश हो।

27.9.23
पत्रावली पेश हुई। नकुलाय पक्षकार उपस्थित हुए। वादी द्वारा मेन्टेनेबिलिटी के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गये। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा०पत्र 07R11 पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र 07R11 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकण करा संलग्न पत्रावली किया गया। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिमा वर्मा
IAS